कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग,रेनूकूट
सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–2579 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनूकूट,जनवरी, 25 , 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में । **(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017)**

संदर्भः– 1–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– पी0112/81–2–2019–79/91 लखनऊ दिनांक– 26 दिसम्बर 2019
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1274/11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 26.12.2019
3–आपका पत्रांक– सा0 2957/मी0/33 दिनांक– 26.12.2019
4–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 2251/एन0सी0एल0 दिनांक– 27.12.2019
5–आपका पत्र संख्या– सा0 2966/मी0क्षे0/33 दिनांक– 27.12.2019
6–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1289/11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 30.12.2019
7–आपका पत्र संख्या– 3026/मी/33 दिनांक– 31.12.2019
8–आपका पत्र संख्या– सा0 3038/मी0क्षे0/33 दिनांक– 31.12.2019
9–आपका पत्र संख्या– सा0 3162/मी0क्षे0/33 दिनांक– 08.01.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 26.12.2019 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–27.12.2019 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित की गयी थी जिसे आपने भी अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–27 दिसम्बर 2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 30.12.2019 द्वारा प्रकरण में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए सूचना/आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में पूर्व प्रेषित आख्या को संशोधित करते हुए बिन्दुवार संशोधित आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– पी0112/81–2–2019–79/91 लखनऊ दिनांक– 26 दिसम्बर 2019 में अंकित आपत्तियों का विवरण	प्रभाग की संशोधित अनुपालन आख्या
1	2	3
1	राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किया	(1) इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए ग्राम–ककरी की 185.84 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 द्वारा

	जायेगा । यदि प्रयोक्ता द्वारा शर्तो का अनुपालन नही किया जाता है , तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाय ।	6(छः) शर्तो के अधीन एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 व संशोधित आदेश संख्या–5343/14–2–93–944/1987 वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 01.11.1993 द्वारा 11(गयारह) शर्तों के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी । **(2)** उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 में अधिरोपित समस्त शर्तो में से **शर्त संख्या–6** का उल्लंधन किया गया है और **शर्त संख्या– 8(ब)** का अनुपालन वर्ष 2011–12 तक किया गया तथा वर्ष 2011–12 के उपरान्त अनुपालन नही किया गया जिसका कारण/विवरण निम्नानुसार है :– **शर्त संख्या– 6** – इस शर्त के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि 185.84 हे0 पर नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा किए गए निर्माण के बाद भी आरक्षित/रक्षित वन भूमि बने रहेगे किन्तु प्रस्तावक नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी पिपरी सोनभद्र व न्यायालय अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश पिपरी–सोनभद्र के समक्ष वाद/अपील योजित करते हुए वर्ष 1994 के पूर्व निर्णय प्राप्त किया गया और प्राप्त निर्णय के आधार पर प्रश्नगत वन भूमि को राजस्व अभिलेखो में एन0सी0एल0 के नाम दर्ज कराया जा चुका है । एन0सी0एल0 के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज प्रश्नगत वन भूमि एवं एन0सी0एल0 की अन्य परियोजनों एवं अन्य संस्थानो आदि के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज समस्त भूमि को पुनः वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने एवं अन्य तथ्यो को वन विभाग की ओर से एक **एम0ए0 संख्या–1747/2018 बनवासी सेवा आश्रम से संबंधित मामलो में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल किया गया है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।** **शर्त संख्या– 8(ब)** – इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा प्रीमियम की निर्धारित धनराशि रू0 2,32,300/–(एक मुश्त) तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट की निर्धारित धनराशि , 23,230/–प्रति वर्ष की दर से वर्ष 2011–12 तक जमा करते हुए आगे की अवधि में जमा करने से छूट प्रदान करने हेतु सी0एम0डी0, नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली, मध्य प्रदेश द्वारा (समस्त परियोजना यथा एन0सी0एल0 ककरी, बीना, खड़िया, एवं दुद्धीचुऑ की ओर से) माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या–50320/2010 नार्दन कोल फील्डस लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी । उक्त रिट याचिका में विभाग की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक– 11.10.2012 Delivered on 16.01.2013 वन विभाग के विरूद्ध जारी किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक– 11.10.2012/16.01.2013 के विरूद्ध प्रभाग द्वारा उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या–13458/2013, व एस0एल0पी0संख्या– सिविल(सी) 22793/2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर 7614/2014 दाखिल किया गया है जिसमें अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक–15.07.2013 व 08.08.2014 को निम्न आदेश पारित किया गया :– दिनांक–15.07.2013– Delay condoned, Issue notice दिनांक–08.08.2014– Leave granted. Hearing of appeal be expedited. In the meantime, counsel for the appellants is permitted to file rejoinder affidavit, if any .

		उक्त आदेश दिनांक– 08.08.2014 के अनुपालन में प्रभाग द्वारा एडवोकेट ऑन रिकार्ड के माध्यम से दिनांक– 17.08.2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिज्वाइन्डर शपथ पत्र दाखिल किया तथा सिविल अपील माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । प्रीमियम एवं लीज रेंट भुगतान के संबंध में प्रस्ताव द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादो के अन्तिम निर्णय के अनुसार अनुपालन किया जायेगा । वचनबद्धता प्रमाण–पत्र की प्रति नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–50 पर संलग्नक–13 के रूप में संलग्न किया गया है ।
2	विषयगत प्रस्ताव में प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित भूमि हस्तान्तरण की शर्तो के अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो में से उ0प्र0 सरकार के उक्त शर्त संख्या–6 व 8(ब) का अनुपालन उपरोक्त कारणो से नही किया गया है । दोनो प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन होने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है ।

अतिरिक्त कथन

उक्त के अतिरिक्त नार्दन कोल फील्डस लि0 के विभिन्न परियोजनाओ के प्रकरणो में उल्लंधन एवं अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1– नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लीज पर हस्तान्तरित ग्राम–ककरी की 185.84 हे क्षेत्रफल के **अतिरिक्त क्षेत्रफल 18.2608 एकड़ जिसका ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है , को नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा विना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये सी0बी0ए0 एक्ट के अधीन उर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर प्राप्त भूमि मे से 18.2608 एकड़ भूमि मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन, रेनुसागर–सोनभद्र व मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र को लीज पर हस्तान्तरित कर दी गयी जिसके संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है ।** :–

क्र0 सं0	एन0सी.0एल0द्वारा सी0बी0ए0 एक्ट के अधीन प्राप्त भूमि में से जिसको लीज दी गयी उसका नाम	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	लीज क्षेत्रफल में निहित वन भूमि का क्षेत्रफल/ग्राम का नाम	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रभाग स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन(मे0 हिण्डालको इण्डरस्ट्रीज लि0)	21.02.2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते का निर्माण	7.43 एकड़	5.5203 एकड़ /ग्राम–परासी व औड़ी	प्रश्नगत प्रकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक–10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या–6473/मीरजापुर/33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल
2	–''–	10.06.2011	कोयला ट्रान्सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़ /ग्राम–ककरी, जमशिला व बांसी	
2	मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0	30.11.2010	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़ /ग्राम–ककरी	

	अनपरा–सोनभद्र					अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंधन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक– 20.08.2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

2– (क) नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा रेलवे रैक के माध्यम से विभिन्न सरकारी उपक्रमो/संस्थानो/प्राईवेट फर्मो आदि को अभिवहित कोयले पर अभिवहन शुल्क की कुल बकाया धनराशि रू0 3,71,69,21,066/– वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाना था । उक्त बकाया धनराशि में से अब तक रू0 3,68,62,19,745/– की धनराशि विभिन्न परियोजनाओ द्वारा विभिन्न तिथियो में बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रभाग में उपलब्ध कराया जा चुकी है । इस प्रकार अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि उपरोक्तानुसार जमा होने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 3,07,01,321/– एन0सी0एल0 की बीना परियोजना द्वारा Delhi Vidyut Board(DVB), Himadri, Rajghat Officer Complex, New Delhi- 110001 से प्राप्त करते हुए वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाना है । उपरोक्त अवशेष धनराशि जमा करने हेतु प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रो के माध्यम से सी0एम0डी0 नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली को पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उनके द्वारा जमा न कराये जाने पर प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी सिंगरौली मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित करते हुए बकाया अभिलेख शुल्क की धनराशि भू–राजस्व की भॉति वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया ।

(ख) उक्त अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि रू0 3,71,69,21,066/– मे से नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा विभिन्न तिथियो में जमा की गयी धनराशि में हुए विलम्ब के कारण कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 आडिट भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा रू0 121.48 करोड़ की धनराशि निर्धारित करते हुए जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्धारित धनराशि को जमा करने हेतु प्रभाग द्वारा सी0एम0डी0 नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली, मध्य प्रदेश से अनुरोध किया गया किन्तु जमा न किये जाने पर प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी सिंगरौली मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित करते हुए ब्याज की धनराशि जमा भू–राजस्व की भॉति वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया ।

(ग) प्रभाग स्तर से जिलाधिकारी सिंगरौली, मध्य प्रदेश को प्रेषित पत्रो के क्रम में जिलाधिकारी सिंगरौली द्वारा सी0एम0डी0 नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली के विरूद्ध किये गये कार्यवाही से क्षुब्ध होकर नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष दो रिट याचिका दाखिल करते हुए आदेश प्राप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	रिट याचिका संख्या/वर्ष	याची/विपक्षीगणो का विवरण	माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित मुख्य अन्तरिम आदेश की तिथि व प्रभावी अंश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	टैक्स 224/2018	नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा सी0एम0डी0 एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	<u>08.03.2018</u>– Till 14 Marh 2018 no coercive measures may be taken against the petitioner for realization of interest on account of delay in depost of Transit Fee. <u>15.10.2019</u>– List in the next cause list so as to enable the learned counsel for the petitioner to provide correct	इस रिट याचिका में विभाग की ओर से दिनांक–05.04.2018 को शपथ पत्र एवं स्टे वैकेशन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

			address of respondent n0. 6 Interim order , if any, to continue till then .	
2	सी 15241 / 2018	नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा सी0एम0डी0 एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	07.05.2018 On the request of learned counsel for the petitioner, put up on 14-05-2018	इस रिट याचिका में विभाग की ओर से दिनांक–16.11.2019 को शपथ पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण, रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण **प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017)** को **अन्य उपरवर्णित दोनो बिन्दुओ से पृथक करते हुए लीज के आगामी 20 वर्षो हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें । इस हेतु प्रभाग स्तर से पुनः संस्तुति की जाती है । यह संस्तुति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 वाद संख्या– 1747 / 2018 व सिविल अपील संख्या– 7614 / 2014 के अन्तिम निर्णय से बाधित रहेगा ।**

भवदीय,

25.01.2020

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– 2579 अ / सम दिनांकित ।

1–प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2–प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

25.1.2020

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र